न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 22/2011 G.C.M.S. No. 2011/00005 दर्ज दिनांक : 09.11.2011

अपीलार्थिगण:

1. फूलसिंह पुत्र केसरसिंहजी, जाति राजपूत, आयु 75 वर्ष, पेशा खेती, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही मृत के कायम मुकाम–
   - 1/1 श्रीमती रसाल कुवंर पत्नी फुलसिंह जी, आयु 75 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज
   - 1/2 पीरसिंह पुत्र फुलसिंहजी, आयु 48 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज
   - 1/3 महावीरसिंह पुत्र फुलसिंहजी, आयु 40 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज
   - 1/4 गुलाब कंवर पुत्री फुलसिंहजी पत्नी मदनसिंह जी, आयु 46 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी जाखोड़ा, तहसील सुमेरपु
   - 1/5 हकम कंवर पुत्री फुलसिंहजी पत्नी जबरसिंहजी, आयु 44 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी मेड़ा, तहसील आहोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1 पुरुषोत्तम पुत्र सांकलचंदजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

2 चतुर्भुज पुत्र सांकलचंदजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

3 श्री कृष्ण पुत्र गोपीनाथजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

4 मंजुलाबेन बेवा गुरूदत्तजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

5 रेणु पुत्री गुरूदत्तजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

6 अल्का पुत्री गुरूदत्तजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

7 सवेता पुत्री गुरूदत्तजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

8 निलम पुत्री गुरूदत्तजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

9 अमृतलाल पुत्र भबूतरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील रिटगंज, जिला सिरोही।

10 रविकान्त पुत्र भबूतरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

11 देवदत्त पुत्र मुड़ीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

12 बाबुलाल पुत्र मिठालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
13 रतनलाल पुत्र मिठालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
14 मदनलाल पुत्र मिठालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
15 भानाराम पुत्र मिठालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
16 नानालाल पुत्र नारायणजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
17 मोहनलाल पुत्र नारायणजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
18 उमाशंकर पुत्र नारायणजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
19 जमनालाल पुत्र छोगालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
20 मोतीलाल पुत्र छोगालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
21 चम्पालाल पुत्र छोगालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
22 हीरालाल पुत्र छोगालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
23 रामचंद्र पुत्र हिम्मतराम उर्फ हेमाजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,
24 दयाशंकर पुत्र मणीशंकर जी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
25 नरेन्द्र पुत्र बाबुलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
26 प्रकाश पुत्र बाबुलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
27 लक्ष्मी बेवा बाबुलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
28 भबुतराम पुत्र गौरीशंकरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
29 चम्पालाल पुत्र गौरीशंकरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
30 रमणलाल गौरीशंकरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
31 मदनलाल पुत्र मोड़ीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
32 इन्द्रलाल पुत्र मोड़ीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
33 पुखराज पुत्र मोड़ीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

34 पन्नालाल पुत्र मोड़ीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही मृत के कायम मुकाम–

34/1 योगेश पुत्र पन्नालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

35 नानालाल पुत्र चन्द्रेश्वरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही मृत के कायम मुकाम–

35/1 करण पुत्र नानालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

35/2 दुर्गेश पुत्र नानालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

36 शंतिलाल पुत्र चन्द्रेश्वरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही मृत के कायम मुकाम–

36/1 सत्यनारायण पुत्र शांतिलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,

37 चुन्नीलाल पुत्र पारेश्वरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

38 छोटालाल पुत्र पारेश्वरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

39 बालकृष्ण पुत्र छगनलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

40 भरत पुत्र छोगालालजी, जाति ब्राह्मण, ब्राह्म आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

41 लक्ष्मण पुत्र छोगालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

42 गोदावरी बेवा छोगालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

43 नटवर पुत्र गोपीचंदजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

44 दिनेश पुत्र गोपीचंदजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

45 अशोक पुत्र गोपीचंदजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

46 पंकु बेवा गोपीचंदजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज मृत

47 इन्द्र पुत्र खुमाजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही मृत के कायम मुकाम

47/1 अजय पुत्र इन्द्र कुमारजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,

47/2 जयेश पुत्र इन्द्र कुमारजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,

47/3 रूकमणी पत्नी इन्द्र कुमारजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,

47/4 वर्षा पुत्री इन्द्र कुमारजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,

47/5 मनीषा पुत्री इन्द्र कुमारजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,

48 दामोदर पुत्र खुमाजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

49 श्री कृष्ण पुत्र खुमाजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

50 विरेन्द्र पुत्र लच्छीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

51 ललीत पुत्र लच्छीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

52 वैकुण्ठ पुत्र लच्छीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

53 कमला बेवा लच्छीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज मृत

54 उमाशंकर पुत्र रूगनाथजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

55 मदनलाल पुत्र धर्मदत्तजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

56 भरत पुत्र जगनेश्वरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही

57 यतीश पुत्र जगनेश्वरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

58 भुरालाल पुत्र नादेश्वरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।

59 रमनलाल पुत्र नादेश्वरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही मृत के कायम मुकाम–

59/1 कमलेश पुत्र रमनलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,

59/2 दीपक पुत्र रमनलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,

60 दुर्गाशंकर पुत्र मोड़ीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही मृत के कायम मुकाम–

60/1 अतुल पुत्र दुर्गाशंकरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज

60/2 राकेश पुत्र दुर्गाशंकरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

61 चुन्नीलाल पुत्र वरदीशंकरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
62 नानालाल पुत्र वरदीशंकरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
63 मुकेश पुत्र लच्छीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
64 पंकज पुत्र लच्छीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
65 लक्ष्मी बेवा लच्छीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
66 पनलाल पुत्र हीरालालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
67 कांतिलाल पुत्र शांतिलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
68 इंदुलाल पुत्र शांतिलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
69 भंवरलाल पुत्र शांतिलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
70 हंजा बेवा शांतिलालजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
71 गोपाल पुत्र रेवाशंकरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
72 भवरलाल पुत्र भबूतरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
73 मोहनलाल पुत्र भबूतरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
74 बाबुलाल पुत्र लादेश्वरजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
75 फरसराम पुत्र मोड़ीरामजी, जाति ब्राह्मण, आयु वयस्क, पेशा अज्ञात, निवासी पोसालिया, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
76 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शिवगंज।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 71/1997 बअनवान पुरूषोतम वगैरह बनाम भंवरलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2011

पैरोकार–

1. श्री अश्विन मरडिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, श्री पी. एल. दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 10.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

71/1997 बअनवान पुरूषोतम वगैरह बनाम भंवरलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधीन न्यायालय ने तनकी सं. 1 की विरचना गलत की हैं और उसका निर्णय भी सर्वथा गलत किया है। तनकी सं. 1 की विरचना जो की गई है उसे अधीन न्यायालय ने समझने व तनकी अनुसार निर्णय करने का प्रयास तक नहीं किया है। अधीन न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई हैं और न तनकी सं. 1 के निस्तारण मे कोई विवेचन ही न्यायालय ने संयुक्त कब्जे काश्त का किया है। अधीन न्यायालय ने तनकी सं. 1 के विवेचन में भूमि अपीलार्थी का उंकारजी के पास काम करने का, अपीलार्थी को ठेके पर दिया जाने, उसकी संविदा होने तथा ठेके की राशि की व विवादित भूमि सुपुर्द करने को कहने परंतु फुलसिंह अतिक्रमी होने का वादी साक्षी– 1 चुन्नीलाल द्वारा कथन करने का उल्लेख किया है। तनकी सं. 1 वादीगण – प्रत्यर्थीगण को सिद्ध करनी थी न कि अपीलार्थी प्रतिवादी को। पत्रावली पर कोई साक्ष कथित खातेदारान् के संयुक्त कब्जे काश्त की नहीं आई है। स्वीकृत स्थिति अनुसार कोई खातेदार गांव में ही नहीं रहता है। अधीन न्यायालय ने कोई विवेचन संयुक्त कब्जे काश्त के बारे में अथवा भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की होने बाबत नहीं किया है। उसके उपरांत भी तनकी सं. 1 का विनिश्चय वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पक्ष में करने में अधीन न्यायालय ने विधि में घोर अवैधता बरती हैं। अधीन न्यायालय ने वादीगण के अभिवचनों पर गौर ही नहीं किया है। वादीगण ने भूमि उंकारलाल को काश्त करने हेतु देने का तथा उंकारलाल द्वारा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 सहखातेदारों की अनुमति बिना रूपए 20,000/– में एक वर्ष के लिए ठेके पर देने का कथन किया है। उक्त स्वीकृत अभिवचनों के विपरित आई साक्ष को स्थापित विधि अनुसार गौर में ही नहीं लिया जा सकता है। अधीन न्यायालय ने अभिवचनों व साक्ष में आई भिन्नता को नजरअंदाज कर तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पक्ष में करने में विधि में सारभूत अवैधता बरती हैं। तनकी सं. 3 का निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध करने में अधीन न्यायलय ने विधि में भूल की है। अपीलार्थी ने भूमि क्रय करने का संविदा करने का, विक्रय कीमत अदा करने का, भूमि का कब्जा प्राप्त करने का, विक्रय संविदा नष्ट हो जाने का स्पष्ट कथन किया है और अपनी साक्ष से उक्त तमाम तथ्यों को साबित किया है। अपीलार्थी द्वारा भूमि क्रय किया जाना स्वंय प्रत्यर्थीगण की ओर से जिरह में दिए सुझाव से साबित है। अपीलार्थी वैध संविदा के तहत भूमि पर काबिज है और बतौर खातेदार खुले सदृश्य रूप से काश्त करता आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा भूमि खातेदार की हैसियत से किए गए सुधारों को, कुआ खुदवाने को, मकान बनवाने को, बोरिंग करवाने आदि स्थाई कृत्य को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रत्यर्थीगण द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई। अधीन न्यायालय ने उक्त तनकी का निर्णय प्रत्यर्थीगण के पक्ष में करने के निष्कर्ष में कोई विवेचन व आधार नहीं दर्शाया है। अधीन न्यायालय ने तनकी सं. 4 का निर्णय अपीलार्थी के विरूद्ध करने में सारभूत अवैधता बरती हैं। अभिवचनों की स्वीकृत स्थिति अनुसार ही वाद अवधि मध्य नहीं हैं। यद्यपि प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि में कभी भी कब्जा नहीं रहा है, प्रत्यर्थीगण का निवास भी गांव में नहीं हैं और न प्रत्यर्थीगण द्वारा कभी खेती ही की गई हैं। तथापि अपीलार्थी ने सन् 1970 से ही भूमि में काबिज होने का, मकान बनाए जाने का, कुए खुदवाए जाने का वाद में स्पष्ट कथन किया है। अपीलार्थी के उक्त सभी कृत्य प्रत्यार्थीगण के अधिकारों के प्रति प्रतिकूल थें। वाद प्रथम दृष्टया ही अवधि मध्य नहीं था। प्रत्यार्थीगण के कब्जे के अनुतोष हेतु वाद धारा 63 राज. अभिधृति अधिनियम के तहत अवधि बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 ता 4 के निर्णय अनुसार तनकी सं. 5 का निर्णय भी प्रत्यर्थीगण के पक्ष में करने में भूल की हैं। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर सन् 70. से कब्जा होना, बतौर खातेदार उक्त भूमि में कृषि कार्य करना अपीलार्थी की साक्ष से सिद्ध है और उक्त साक्ष अखण्डित रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के महत्वपूर्ण अधिकारो को केवल मात्र सतही व फौरी तौर पर निर्णित कर विधि में घोर अवैधता बरती हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक व प्रलेखी साक्ष पर अधीन न्यायालय ने गौर नहीं किया है तथा गौर में ली साक्ष का गलत पठन व विवेचन किया है। प्रत्यार्थीगण की सारहीन व आधारहीन साक्ष को मानने का अधीन न्यायालय के समक्ष आधार नहीं था। अधीन न्यायालय द्वारा साक्ष का विवेचन करने का नजरीया तर्क संगत व न्याय संगत नहीं रहा है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सारभूत अवैधताओं से परिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 71 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में बेदखली बाबत वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2011 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट प्रतिवादी द्वारा हस्तगत अपील निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने की दिनांक से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर साक्ष्य उपरांत विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन व निर्णयन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः इस स्तर पर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन अपेक्षित है। जो निम्नानुसार हैः–

1. **विवाद्यक संख्या 1** – आया विवादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की हैं ?.....जिम्मे वादीगण।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 5 अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया गया। क्योंकि उक्त विवाद्यक अभिलेखीय स्थिति से संबंधित है तथा वादग्रस्त आराजीयात की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी प्रदर्श 1 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार है। साथ ही अपीलांट प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हों कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार नहीं हों तथा चूंकि सहखातेदारी भूमि की दशा में सभी सहखातेदारान का कब्जा काश्त हिस्से अनुसार माना जाता है। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में हमारे विनम्र मत में कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

2. **विवाद्यक संख्या 2** – आया विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 अतिचारी होने से वादीगण उक्त भूमि से कब्जे से डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ?.....जिम्मे वादीगण।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पक्ष में व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध निर्णित किया है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन व प्रदर्श 1 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि हैं। पूर्व सहखातेदार उंकार जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को वादग्रस्त आराजी एक वर्ष के लिए 20000 रूपये में काश्त हेतु ठेके पर देने, जिसकी अवधि मार्च 1996 में समाप्त हो जाने पर सहखातेदार उंकार जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को कब्जा खाली करने बाबत नोटिस दिया जाना वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित किया है। साक्ष्य वादी में प्रस्तुत प्रदर्श 17 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नोटिस में पूर्व में जारी नोटिस दिनांक 04.05.1996 का हवाला देते हुए प्रतिवादी संख्या 5 को कब्जा सुपुर्द करने बाबत लिखा गया तथा जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जरिये वकील जवाब प्रस्तुत किया गया। जो प्रदर्श ए 16 है। प्रदर्श ए 16 के अवलोकन से स्पष्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है कि प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा नोटिस का विरोध करते हुए वादग्रस्त आराजी सन 1970 में अपने असील को विक्रय करने का सौदा होने व कब्जा सुपुर्द करने तथा राशि वक्त पंजीयन प्रदान किए जाने का कथन किया है। अतः इस संबंध में उभयपक्ष के मध्य विरोधाभासी कथन है। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजीयात समस्त खातेदारान द्वारा सन 1970 में प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय की हैं तथा कब्जा सुपुर्द किया हों। अपीलांट स्वयं यह स्वीकार करता है कि राशि का हस्तांतरण वक्त पंजीयन दिया जाना तय किया गया। अतः स्पष्ट है कि राशि का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ तथा बिना हस्तांतरण के कोई संविदा निष्पादित नहीं की जा सकती। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि उसे विवादित भूमि के खसरा संख्या याद नहीं हैं। अपीलांट द्वारा जिरह में यह भी स्वीकार किया गया कि उसके पास इकरार की प्रति नहीं हैं। साथ ही अपीलांट द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि विवादित भूमि लादेश्वर, गवरीशंकर, मोडीराम व उंकार जी से खरीद की थीं। स्पष्ट है कि वादगस्त आराजीयात केवल उक्त व्यक्तियों की आराजी नहीं होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त आराजी थीं। अतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात उंकारजी द्वारा अपीलांट को काश्त के लिए ठेके पर दी थीं तथा अपीलांट द्वारा कब्जा खाली करने से इंकार किया गया। जोकि अपीलांट को दिए गए नोटिस व उसके जवाब से तथा गवाहान के बयानात एवं अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवाद द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहने से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 वादग्रस्त आराजीयात पर बतौर अतिचारी काबिज हुआ है तथा वादीगण द्वारा वादपत्र दिनांक 21.11.1997 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। जोकि अंदर म्याद है तथा खातेदारान अतिचारी की बेदखली करवाने के लिए कानूनन अधिकारी हैं। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक निर्णित करने में कानूनन कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं।

3. **विवाद्यक संख्या 3** – आया प्रतिवादी संख्या 5 विक्रय संविदा के आधार पर सन् 1970 से बहैसियत खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की जानकारी में भूमि पर काबिज है ?.....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 5

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध निर्णित किया है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 5 के कथनों मात्र से स्पष्ट है कि कथित विक्रय संविदा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा स्वयं को वादग्रस्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काबिज होना कथन किया है। वहीं यह भी कथन किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है कि उसके पास ऐसी कोई संविदा इकरार नहीं हैं तथा यह भी स्वीकृत स्थिति है कि कथित अपंजीकृत लिखत व इकरार के आधार पर न तो खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण हो सकता है एवं न ही ऐसा कोई इकरार निष्पादक बहैसियत खातेदार काबिज माना जा सकता है। यह अलग विषय है कि इकरार के पक्षकार ऐसे किसी इकरार के क्रियान्वयन के लिए सक्षम सिविल न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार गवाह डी.डब्ल्यू 2 द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वादग्रस्त जमीन फुलसिंह को भोग पर दी थीं तथा 11000 रूपये उंकारजी को दिए थें। अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा ऐसा कोई अखंडित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजीयात पर सन् 1970 से बहैसियत खातेदार काबिज हों। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक निर्णित करने में कानूनन कोई भूल नहीं की हैं।

4. **विवाद्यक संख्या 4** – आया वादीगण का वाद धारा 63 राजस्व अभिधृति अधिनियम के तहत अवधि पार होने से काबिल खारिज है ?.....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 5

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध निर्णित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 के अंतर्गत वादपत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत परिसीमा अवधि 12 वर्ष निर्धारित है। उक्त परिसीमा अवधि उक्त दिनांक से आरंभ होती हैं। जिस दिनांक को खातेदारी आराजी पर कोई व्यक्ति बहैसियत अतिक्रमी काबिज होता है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन व वादग्रस्त आराजीयात के जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी आराजी रही हैं। अधिनियम की धारा 63 के अनुसार यदि आसामी को आधिपत्य से वंचित कर दिया गया हों एवं आधिपत्य वापस लेने का उसका अधिकार अवधि बाधित हो गया हों तो ऐसे आसामी के काश्तकारी अधिकारों का अवसान हो जाएगा।

जहां वादीगण द्वारा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी थीं, पूर्व सहखातेदार उंकार जी द्वारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सहमति के बिना प्रतिवादी संख्या 5 को वादग्रस्त आराजी एक वर्ष के लिए 20000 रूपये में काश्त हेतु ठेके पर देने, जिसकी अवधि मार्च 1996 में समाप्त हो जाने पर सहखातेदार उंकार जी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को कब्जा खाली करने बाबत नोटिस दिया जाना वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित किया है। वहीं अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा इसका खण्डन करते हुए उक्त भूमि तत्कालीन खातेदारों द्वारा सन 1970 में प्रतिवादी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विक्रय संविदा कर कब्जा सुपुर्द करने से प्रतिवादी के काबिज होने का कथन जवाबदावा में किया है।

चूंकि प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उसे सन 1970 में विक्रय संविदा से कब्जा प्राप्त हुआ था। अपीलांट प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई विक्रय संविदा दस्तावेज प्रस्तुत व प्रदर्श नहीं करवाया, बल्कि यह कथन किया कि उक्त संविदा नष्ट हो गई। वादीगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श 17 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नोटिस में पूर्व में जारी नोटिस दिनांक 04.05.1996 का हवाला देते हुए प्रतिवादी संख्या 5 को कब्जा सुपुर्द करने बाबत लिखा गया तथा जिसके प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जरिये वकील जवाब प्रस्तुत किया गया। जो प्रदर्श ए 16 है। प्रदर्श ए 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा नोटिस का विरोध करते हुए वादग्रस्त आराजी सन 1970 में अपने असील को विक्रय करने का सौदा होने व कब्जा सुपुर्द करने तथा राशि वक्त पंजीयन प्रदान किए जाने का कथन किया है। अतः इस संबंध में उभयपक्ष के मध्य विरोधाभासी कथन है। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजीयात समस्त खातेदारान द्वारा सन 1970 में प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय की हैं तथा कब्जा सुपुर्द किया हों। अपीलांट स्वयं यह स्वीकार करता है कि राशि का हस्तांतरण वक्त पंजीयन दिया जाना तय किया गया। अतः स्पष्ट है कि राशि का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ तथा बिना हस्तांतरण के कोई संविदा निष्पादित नहीं की जा सकती। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि उसे विवादित भूमि के खसरा संख्या याद नहीं हैं। अपीलांट द्वारा जिरह में यह भी स्वीकार किया गया कि उसके पास इकरार की प्रति नहीं हैं। साथ ही अपीलांट द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि विवादित भूमि लादेश्वर, गवरीशंकर, मोडीराम व उंकार जी से खरीद की थीं, जबकि जवाबदावा में यह कथन किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदारान से सन 1970 में क्रय की गई थीं। स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी द्वारा विरोधाभासी कथन किए गए, यह भी स्पष्ट है कि वादगस्त आराजीयात केवल उक्त व्यक्तियों की आराजी नहीं होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त आराजी थीं। अतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात उंकारजी द्वारा अपीलांट को काश्त के लिए ठेके पर दी थीं तथा अपीलांट द्वारा कब्जा खाली करने से इंकार किया गया। जोकि अपीलांट को दिए गए नोटिस व उसके जवाब से तथा गवाहान के बयानात एवं अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवाद द्वारा खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहने से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 वादग्रस्त आराजीयात पर बतौर अतिचारी काबिज हुआ है तथा वादीगण द्वारा वादपत्र दिनांक 21.11.1997 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था। जोकि अंदर म्याद है तथा खातेदारान अतिचारी की बेदखली करवाने के लिए कानूनन अधिकारी हैं तथा वादपत्र अंदर म्याद होने से अधिनियम की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकारों का अवसान नहीं हो सकता। अतः उक्त विवाद्यक अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा बखूबी साबित नहीं किया गया एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक निर्णित करने में कानूनन कोई भूल नहीं की हैं।

5. **विवाद्यक संख्या 5** – आया प्रतिवादी संख्या 5 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध वाद पद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खातेदारी की हक की घोषणा व प्रतिवादी के कब्जेकाश्त में दखलअंदाजी रोकने के लिए स्थाई शारस्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है ?.....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 5

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध निर्णित किया है। पूर्व विवेचित व निर्णित विवाद्यकों के विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा महज कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। प्रथम तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में महज कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं हैं। साथ ही चूंकि वादीगण खातेदारान द्वारा अपीलांट के विरूद्ध बेदखली बाबत वाद प्रस्तुत किया गया, जोकि अंदर म्याद होना साबित है एवं अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात पर वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 24–25 वर्ष से काबिज होना साक्ष्य से साबित नहीं किया है। अतः अपीलांट खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी नहीं हैं एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष केवल अभिलिखित खातेदार ही प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अतः अपीलांट उक्त विवाद्यक को साबित करने में सफल नहीं रहा है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक को निर्णित करने में कानूनन कोई भूल नहीं की हैं।

3. उपर्युक्त विवेचन व निर्णयन क आधार पर हमारे विनम्र मत में अपीलांट अपील को बखूबी साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनन कोई त्रुटि कारित नहीं की हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 71/1997 बअनवान पुरूषोतम वगैरह बनाम भंवरलाल वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.08.2011 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **10.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली